27-02-18

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी श्यामलाल उपस्थित। अप्रार्थी ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के न्यायालय के विविध फौजदारी प्रकरण सं० 489/2015 अनुवानी श्रीमती रुकमणीदेवी बनाम श्यामलाल अन्तर्गत धारा 125 दं० प्र० सं० के निर्णय दिनांक 03-02-2018 की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त अनुवानी प्रकरण, जो भरण-पोषण से ही सम्बन्धित है, में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाकर मुझ अप्रार्थी को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रार्थिनी श्रीमती रुकमणीदेवी को अदा करने का आदेश दिया है, जिसको देना मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अब इस प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली की जाकर अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने प्रकरण सं० 489/2015 अन्तर्गत धारा 125 दं० प्र० सं० जो भरण पोषण से ही सम्बन्धित है, में दिनांक 03-02-18 को निर्णय जारी कर अप्रार्थी को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह आदेश की दिनांक से प्रार्थी श्रीमती रुकमणीदेवी को अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय/आदेश में यह भी अंकित किया है कि उक्त भरण पोषण की रकम प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी से अन्य किसी अधिनियम के तहत प्राप्त कर रही हो तो उसमें यह राशि समायोजित की जावेगी। निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के यहां धारा 125 दं० प्र० सं० के तहत विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण

L.T.I. श्यामलाल

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| होकर अप्रार्थी को पन्द्रहसौ रूपये प्रतिमाह श्रीमती रुक्मणी-देवी को अदा करने भरण-पोषण राशि के रूप में अदा करने का आदेश दिया जा चुका है जिससे अप्रार्थी भी सहमत है। इसलिए इस न्यायालय के इस प्रार्थना पत्र जो भरण पोषण से सम्बन्धित है, में पृथक् से कोई आदेश जारी किये जाने का औचित्य नहीं है। अब इस पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखने का भी कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधि. 2007 का इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। | |